

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2414/2012/सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत सिरोही

....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शीतल प्रसाद मुकुन्दीलाल,  
आबूरोड़

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा  
उप-राजकीय अभिभाषक  
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से  
.....व्यवहारी की ओर से

दिनांक : 09.03.2018

### निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सिरोही (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 55, 58, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित आदेश में सृजित मांग राशि अन्तर कर रुपये 11,228/-, धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 930/- एवं धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 22,456/- में से अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के बिन्दु को राजस्व द्वारा विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के फर्म का सर्वेक्षण करने पर पाया कि उसके द्वारा विक्रीत उत्पादों के विक्रय हेतु जारी इन्वॉयस में कैण्डी वर्णित कर 4/5 प्रतिशत से कर चुकाया गया है, जबकि व्यवहारी का उत्पाद कन्फैक्शनरी होने के कारण उस पर आलोच्य अवधि में 12.5 प्रतिशत कर चुकाया जाना चाहिये था। सक्षम अधिकारी ने आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा विक्रीत माल "ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी" की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची-चतुर्थ के तहत अधिसूचित नहीं होने एवं वैट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य होना मानते हुये, व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा अन्तर कर, तथा धारा 58 एवं धारा 61 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण किया।
3. सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार कर आरोपित अन्तर कर व धारा 58 के तहत आरोपित ब्याज को यथावत रखते हुए

31

★

निरन्तर.....2



धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।


4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा बेचे गये Confectionery items पर कर का भुगतान निर्धारित दर से कम दर किया जाकर कर का परिवर्जन किया गया है, अतः धारा 61 के अंतर्गत आरोपित शास्ति पूर्णतः विधिसम्मत होने से इसे बहाल किया जावे।
5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा विक्रय किये गये प्रश्नगत माल के सभी संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा जो शास्ति अपास्त की गई है वह पूर्णतः उचित है। अतः उन्होंने विभाग की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।
6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा माल राज्य के भीतर विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है या नहीं तथा इस पर कर दर क्या होगी ?
7. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) के प्रकरण में पारित निर्णय 21.04.2009 दृष्टव्य है, जिसके संदर्भित अंश निम्न प्रकार हैं :-

*"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."*

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि0 (12) 32 टीयूडी पृष्ठ 3 में भी इसी तरह की व्यवस्था अभिनिर्धारित की गई है।

8. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था एवं इसमें समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में घोषित थे, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णयों के आलोक में जबकि प्रत्यर्थी ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शायी है, शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त करने में कोई





निरन्तर.....3




त्रुटि कारित नहीं की है। तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य



(के. एल. जैन)  
सदस्य